छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
अपेक्स बैंक (Apex Bank)
मुख्यालय "सहकार भवन", प्लॉट नं.–74, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर(छ.ग.) 492002
Website : www.cgapexbank.com Email : cg.apexbank.ho@gmail.com

छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र. 1970 दिनांक 22/08/2024

छ.ग.राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सीधी भर्ती के 380 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेजों के सत्यापन एवं काउंसिलिंग की विस्तृत सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्रमांक 1974 दिनांक 04.09.2023 के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में **सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर), कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक एवं समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) पद पर** सीधी भर्ती के निम्नानुसार कुल **398 रिक्त** पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा दिनांक 29.10.2023 को पूर्वान्ह में आयोजित किया गया :–

क्रं.	सेवा/पद का नाम	अपेक्स बैंक	जिला सहकारी बैंकवार पदों की संख्या						सीधी भर्ती के कुल रिक्त पद
		रायगढ़/सारंगढ़/जशपुर	रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	बिलासपुर	अंबिकापुर	जगदलपुर	
1	सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर)	5	10	—	—	—	8	—	**23**
2	कार्यालय सहायक	17	—	—	—	—	—	—	**17**
3	सामान्य सहायक	8	—	12	32	04	27	15	**98**
	योग :–	**30**	**10**	**12**	**32**	**4**	**35**	**15**	**138**
4	समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग)	17	60	40	37	40	23	43	**260**
	महायोगः–	**47**	**70**	**52**	**69**	**44**	**58**	**58**	**398**

उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 04.12.2023 को घोषित किया गया। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग–1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित किये हैं, उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा(भाग–2) में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट सूची का प्रकाशन प्रकाशन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के वेबसाईट https://vyapam.cgstate.gov.in पर किया गया है। उक्त मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, संबंधित बैंकों की काउंसिलिंग कमेटी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन एवं संयुक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक WPS No. 3346 of 2020, WPS No 2343 of 2024, WPS No. 8163 of 2023, WPS No. 8890 of 2023 एवं WPS No. 9042 of 2023 में पारित अंतरिम आदेशों के परिपालन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के सामान्य सहायक के 04 पद, समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) के 10 पद एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर के सामान्य सहायक के 04 पदों को रिक्त रख कर सीधी भर्ती के शेष **380** पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के **दस्तावेजों का सत्यापन** की प्रक्रिया दिनांक **23.09.2024** से प्रारंभ की जा रही है। उक्त 18 पदों पर भर्ती की कार्यवाही माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रचलित प्रकरणों में अंतिम आदेशों के अध्यधीन होगी।

अतः प्रथम चरण में सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर), कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक तथा समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) के कुल 380 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन/परीक्षण के लिए निम्नानुसार आमंत्रित किया जाता है:-

सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर), कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक एवं समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) पद हेतु दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन

क्र.	मेरिट सूची क्रमांक	दिनांक	समय	स्थान
1.	1 से 75	23.09.2024	प्रातः 11:30 बजे से	**छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय, सहकार भवन, प्लॉट नं.-74, सेक्टर-24, नवा रायपुर**
2.	76 से 150	24.09.2024	प्रातः 11:30 बजे से	
3.	151 से 225	25.09.2024	प्रातः 11:30 बजे से	
4.	226 से 300	26.09.2024	प्रातः 11:30 बजे से	
5.	301 से 380	27.09.2024	प्रातः 11:30 बजे से	

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपरोक्त उल्लेखित तिथि एवं स्थान पर निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व उपस्थित होवें। उक्त दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन फार्म में दर्ज किये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वे उपरोक्त तालिका अनुसार दस्तावेजों के परीक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें। यदि दस्तावेजों के परीक्षण हेतु उपरोक्त उल्लेखित तिथि पर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें चयन हेतु अपात्र माना जायेगा।

दस्तावेजों के परीक्षण में अपात्र पाये जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा छ.ग.राज्य बैंक मर्यादित, रायपुर के समक्ष **दिनांक 03.10.2024 से दिनांक 05.10.2024 तक** दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित तिथि के उपरांत दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी। दावा आपत्ति के निराकरण के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 14.10.2024 को बैंक के वेबसाईट में प्रकाशित की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों को बैंक/पद के चयन हेतु काउंसिलिंग दिनांक 05.11.2024 से दिनांक 08.11.2024 तक किया जायेगा जिसकी सूचना पृथक् से जारी की जाएगी।

--00--

दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्देश

सहायक प्रबंधक(फील्ड ऑफिसर), कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक एवं समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता की जांच हेतु आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन किया जाएगा।

उपरोक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन हेतु निम्नानुसार दस्तावेजों की मूलप्रति तथा अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति (02 प्रति) मान्य होगी :–

(1.) बैंक द्वारा प्रेषित काल लेटर ।

(2.) ऑन लाईन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति ।

(3.) जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज जैसेः– जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (10+2) प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो ।

(4.) आधार कार्ड एवं निवास के पते के सत्यापन के संबंध में प्रमाण–पत्र।

(5.) नवीनतम रंगीन 04 फोटोग्राफ, पहचान पत्र सहित ।

(6.) बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र/अंकसूची की मूल प्रति।

(7.) आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

(8.) अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र।

(9.) उम्मीदवार यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम/मण्डल/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ स्वशासी संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

(10.) अन्य ऐसे प्रमाण पत्र/दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता हो ।

दस्तावेजों के सत्यापन में अभ्यर्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य गैजेट्स रखने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत विज्ञापन में वर्णित पदवार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य शर्तें पूरी नहीं करने की स्थिति पर अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जावेगा, तद्नुसार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रबंध संचालक